भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 193

दिनांक 02 फरवरी, 2024 को उत्तर के लिए

आंगनवाडी कार्यकताओं की मांगें

193. श्रीमती डिम्पल यादव:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देवः
डॉ. जयंत कुमार रायः

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश और ओडिशा में आंगनवाडी कार्यकताओं द्वारा मानदेय और उपदान में वृद्धि इत्यादि की लम्बे समय से की जा रही मांगों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास मंत्री
(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) से (ड.) सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इस योजना का कार्यान्वयन राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के क्षेत्राधिकार में आता है। भारत सरकार इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र को निर्धारित लागत हिस्सेदारी अनुपात में निधि जारी करती है। भारत सरकार लगातार इस योजना और इसके घटकों की निगरानी और समीक्षा करती है तथा सरकार सीख, परिणामों, सुझावों और प्रस्तावों के आधार पर उत्तर प्रदेश और ओडिशा सहित सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर बातचीत/वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समय-समय पर उचित कार्रवाई करती है।

साथ ही, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को लगातार निर्देशित किया गया है कि अनावश्यक बोझ से बचने और योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को गैर-योजना से संबंधित कार्यों में शामिल न करें।

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने की दृष्टि से निम्नलिखित सहित विभिन्न कदम/पहल की गई हैं:

(i) मानदेय: भारत सरकार समय-समय पर आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी के मानदेय में वृद्धि करती है। भारत सरकार ने 1 अक्टूबर, 2018 से मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय 3,000/- रुपए से बढ़ाकर 4,500/- रुपए प्रति माह; मिनी-आंगनवाड़ी केंद्रों में 2,250/- रुपए से बढ़ाकर 3,500/- रुपए प्रति माह; आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय को 1,500/- रुपए से बढ़ाकर 2,250/- रुपए प्रति माह कर दिया है और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए प्रति माह 250/- रुपए और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए 500/- रुपए के प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन आरम्भ किया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने सभी मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों के रूप में उन्नयन करने का निर्णय लिया है। अब तक मुख्य आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नयन के लिए स्वीकृत मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों की कुल संख्या 54962 है जिसके परिणामस्वरूप ऐसे आंगनवाड़ी केंद्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानदेय में 1000/- रुपए और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 2250/- रुपए की वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्वयं के संसाधनों से इन कर्मियों को अतिरिक्त मौद्रिक प्रोत्साहन/मानदेय का भुगतान भी कर रहे हैं जो राज्यों के अनुसार भिन्न-भिन्न है। राज्यों द्वारा प्रदान किया गया अतिरिक्त मानदेय **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ii) पदोन्नति: मंत्रालय द्वारा जारी सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 दिशानिर्देशों के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि की गई है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के 50% पद अन्य मानदंडों की पूर्ति के अध्यधीन 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं की पदोन्नति से भरे जाएंगें और पर्यवेक्षकों के 50% पद 5 वर्ष के अनुभव वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे।

(iii) छुट्टी: आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लिए मातृत्व अवकाश के लिए 180 दिन की सवैतनिक छुट्टी, गर्भपात/ अकाल प्रसव पर एक बार 45 दिन की सवैतनिक छुट्टी का प्रावधान किया गया है। साथ ही 20 दिन के वार्षिक अवकाश की भी अनुमति हैं।

(iv) वर्दी: आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दो वर्दी (प्रति वर्ष साड़ी/सूट) देने का प्रावधान है।

(v) सामाजिक सुरक्षा बीमा योजनाएँ: प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं को 18 से 50 आयु वर्ग के आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/ आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2 लाख रुपये के जीवन कवर (जीवन को जोखिम, किसी भी कारण से मृत्यु शामिल) का बीमा लाभ और 18-59 वर्ष के आयु वर्ग की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को 2 लाख रुपए (आकस्मिक मृत्यु और स्थायी पूर्ण विकलांगता)/1.00 लाख

रुपए (आंशिक लेकिन स्थायी विकलांगता) के आकस्मिक कवर के लिए प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जाता है।

जो एडब्ल्यूडब्ल्यू/एडब्ल्यूएच पीएमजेजेबीवाई या पीएमएसबीवाई के अंतर्गत शामिल नहीं हैं उन्हें अनुग्रह राहत के रूप में समान राशि प्रदान की जाती है।

अब, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत उनके बैंक खातों के माध्यम से बीमा कवर प्रदान करने और आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत निर्धारित लागत हिस्सेदारी अनुपात पर राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को प्रीमियम भुगतान के लिए निधि जारी करने का निर्णय लिया गया है।

(vi) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत बीमा कवर: कोविड-19 संबंधित कार्यों में संलग्न आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को कुछ शर्तों के साथ "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज" के तहत 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान किया गया है।

(vii) प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम): राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्रों प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/ आंगनवाड़ी सहयोगियों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना के तहत नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित करें। यह देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

(viii) सेवानिवृत्ति तिथि: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उचित मानव संसाधन नियोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के संबंध में सेवानिवृत्ति की एक तिथि अर्थात प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल को अपनाने का अनुरोध किया गया है।

(ix) सरकार ने मिनी-एडब्ल्यूसी को नियमित आंगनवाड़ी केंद्रों में उन्नयित करने के आदेश जारी किए हैं। इसके फलस्वरूप मौजूदा मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय बढ़कर 4,500/- रुपए प्रति माह हो गया है।

******

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों की मांगों के संबंध में लोकसभा में 02.02.2024 को उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 193 के भाग (क) से (ड.) में उल्लिखित अनुलग्नक

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्वयं के संसाधनों से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/आंगनवाड़ी सहायिकाओं को दिए गए अतिरिक्त मानदेय को दर्शाने वाला विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दिया गया अतिरिक्त मानदेय (रुपए में)	
		आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री (एडब्ल्यूडब्ल्यू)	आंगनवाड़ी सहायिका (एडब्ल्युएच)
1.	अंडमान और निकोबार	3000	2500
2.	आंध्र प्रदेश	7000	4750
3.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य
4.	असम	2000	1000
5.	बिहार	1450	725
6.	चंडीगढ़	3600	1800
7.	छत्तीसगढ़	2000	1000
8.	दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव	1000	600
9.	दिल्ली	5178	2589
10.	गोवा	5500-13500*	3750-6750*
11.	गुजरात	5500	3250
12.	हरियाणा	7286-8429*	4215
13.	हिमाचल प्रदेश	4600	2450
14.	जम्मू एवं कश्मीर	600	340
15.	झारखंड	5000	2500
16.	कर्नाटक	6500-7000*	4000-4500*
17.	केरल	2000	2000
18.	लक्षद्वीप	5500	4750
19.	मध्य प्रदेश	7000	3500
20.	महाराष्ट्र	3825	2175
21.	मणिपुर	1000	600
22.	मेघालय	1500	1000
23.	ओडिशा	1000	500
24.	पुदुचेरी	600	300
25.	पंजाब	5000	2850
26.	राजस्थान	3891-4030*	2640

27.	सिक्किम	2225	1500
28.	उत्तराखंड	3000	1500
29.	पश्चिम बंगाल	3750	4050
30.	उत्तर प्रदेश	1500	750
31.	नागालैंड	शून्य	शून्य
32.	मिजोरम	450	500
33.	तमिलनाडु	3200-19700*	1850-10250*
34.	तेलंगाना	9150	5550
35.	त्रिपुरा	150-5346*	93-3518*
36.	लद्दाख	1300	650

*** योग्यता और/या सेवा के वर्षों की संख्या पर निर्भर करता है।**